हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 7

वीरवार, 8 **मार्च**, 2018/17 **फाल्गुन**, 1939(**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष्ा, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**) **आरम्भ हुई।**

1. <u>**प्रश्नोत्तर**:</u>

(I) **तारांकित प्रश्न**:

तारांकित प्रश्न संख्याः 32 से 38 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 39 से 41 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्न**:

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5 व 6 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12.00 बजे</u>

(**श्री जय राम ठाकुर**, **मुख्य मंत्री ने महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी**)

2. **<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>**:

श्री जय राम ठाकुर, **मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017-18;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, सांख्यिकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-4/2017 दिनांक 21.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.10.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर (एपी)-सी-ए(3)-5/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.12.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2017 दिनांक 18.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.12.2017 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्पयूटर ऑपरेटर, वर्ग-III(अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2015 दिनांक 09.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.10.2017 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चपरासी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-3/2010 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.10.2017 को प्रकाशित; और

(vii) आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 70 व हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन, नियम 2011 की धारा 10 व 11 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित)।

3. **<u>सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन</u>:**

डॉ0 राम लाल मारकण्डा, **कृषि मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

प्रस्ताव स्वीकार।

4. **<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u>:**

पहला संकल्प:

श्री राम लाल ठाकुर ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया व चर्चा की:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों ने जहां-जहां पर प्रदेश की भूमि में कब्ज़े किए हैं उन्हें यथावत् नियमित करने हेतु नीति बनाई जाए ।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री जीत राम कटवाल
2. श्री वीरभद्र सिंह
3. श्री सुभाष ठाकुर

(**अपराह्न** 1.10 **बजे सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न** 2.15 **बजे तक स्थगित हुई**)

(**अपराह्न** 2:15 **बजे सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के उपरान्त माननीय उपाध्यक्ष श्री हंस राज की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई**)

4. लखविन्द्र सिंह राणा
5. राकेश सिंघा

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया

(माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री अनिरूद्ध सिंह को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी के अन्य सभी सदस्यों ने 3.20 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया)

संकल्प ध्वनिमत से अस्वीकार हुआ।

(3.22 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः उपस्थित हुए)

दूसरा संकल्प:

श्री अनिरूद्ध सिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बन्दरों द्वारा किसानों/बागवानों की फसलों को पहुंचाये गए नुकसान बारे कोई ठोस नीति बनाई जाए ।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री इन्द्र सिंह
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
3. श्री नरेन्द्र ठाकुर
4. जगत सिंह नेगी
5. श्री सुख राम
6. श्री सुरेश कुमार कश्यप
7. श्री राजेन्द्र राणा
8. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
9. श्री राकेश सिंघा

(चर्चा में भाग लेने वाले अन्य माननीय सदस्य सर्वश्री राजिन्द्र गर्ग, मोहन लाल ब्राक्टा, होशयार सिंह, लखविन्द्र सिंह राणा और राकेश पठानिया द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2018, गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस को इसी विषय पर आगे चर्चा की जाएगी तथा तत्पश्चात् माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिया जाएगा)।

सदन की बैठक सायं 5.00 **बजे शुक्रवार**, **दिनांक** 9 **मार्च**, 2018 **के पूर्वाह्न** 11.00 **बजे तक स्थगित हुई ।**